

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Almora

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for Naula - Thiroil Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Saytura, Jaitkhola, Ganiya and Thiroli village (s) in Bhikiyasain tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.427 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.3 annexure.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिला अधिकारी

अल्मोडा

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

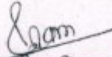
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Vinod Kumar Suman** I.A.S deputy commissioner, **Almora** on dated 10.03.15 at time 11:31 AM at Collectriate in which application claiming rights in **Bhikiyasain** area measuring **5.427** hect for the construction of **Naula - Thiroli Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikiyasain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

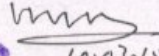
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

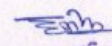
Dated:.....


अधिकांश अधिकारी
पौराणिक विकास विभाग
लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


जिला अधिकारी
10.03.15
Dputy Commissioner-cum-Chairman
अल्मोड़ा

District Level Committee


सहायक अभियन्ता,
सिवाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मौला से चिरोली रोड मार्ग का निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी मिलिअरमैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति मिलिअरमैण

उपखण्ड मिलिअरमैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मौला से चिरोली रोड मार्ग हेतु
(६.९.९० हे० आरक्षित वन भूमि ५.४२७ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.१९० हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ५.६१७ हे० वन भूमि) का अर्द्ध विनाश विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मिलिअरमैण) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रमेश चन्द मोहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों का उपस्थिति निम्नानुसार है-

- 1- श्री रमेश चन्द मोहान उपजिलाधिकारी मिलिअरमैण अध्यक्ष
- 2- श्री बी. एस. जी. रा उप प्रमाणीय वनाधिकारी अल्मोड़ा सदस्य
- 3- श्री अरविमरवत सहायक समाज कल्याण अधिकारी मिलिअरमैण सदस्य
- 4- श्री रानी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र मौला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मौला से चिरोली रोड मार्ग का निर्माण

परियोजना हेतु ५.४२७ हे० वन भूमि अर्द्ध विनाश विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मिर्जापुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीलक्ष्मी परियोजना के निर्माण हेतु 5.427 हे० वन भूमि ग्राम पंचायत निवासी, 3.11.2015 प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

पञ्जाब नौली ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत
नौली से सिरोली मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (जैतखोला) नौला

तहसील भिकियासैन जिला अमृतसर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अमृतसर के अन्तर्गत नौली से सिरोली मोटर मार्ग परियोजना

के निर्माण हेतु (.....है० आरक्षित वन भूमि 5.437 है० सिविल सोयम भूमि..... है०, वन पंचायत भूमि..... है०) अर्थात् कुल 5.437 है० वन भूमि का प्रत्येक विवरण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जैतखोला द्वारा दिनांक 13-01-15 को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जैतखोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रत्येक विवरण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

रमल देवी
प्रधान

ग्राम पंचायत नौला

वि०ख०-भिकियासैन

जिला अमृतसर (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

क्षेत्र.....

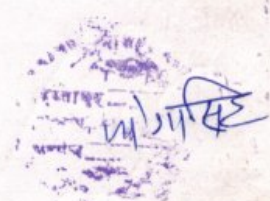
वि० ख०..... (अमृतसर)

रमल देवी

सरपंच

वन पंचायत जैतखोला

पट्टी नं० नवा, पो० नौला, जिला अमृतसर



प्रपत्र-30.4

दिनांक 13-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- (नौला) नौला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4	भगत सिंह	भगत सिंह
5	लाला राम सिंह	लाला राम सिंह
6	राम सिंह	राम सिंह
7	सुमर सिंह धुववाला	सुमर सिंह
8	बिर-सिंह	बिर-सिंह
9	मोता सिंह	मोता सिंह
10	जलाल सिंह	जलाल सिंह
11	जलाल सिंह	जलाल सिंह
12	मनमोहन सिंह	मनमोहन सिंह
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

- 80/ कमला देवी
प्रधान

ग्राम सभा पंचायत नौला
वि० ख०-मि० वि०
मिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
बीला से बिनेली गौर बाई का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम स्योतरा

तहसील सिन्धुगढ़ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बीला से बिनेली गौर बाई परियोजना के निर्माण हेतु (१.७.१० हे० आरक्षित वन भूमि ५.५२.३ हे० सिविल सोयम भूमि ०.०.० हे०, वन पंचायत भूमि ०.०.० हे०) अर्थात् कुल ५.५२.३ हे० वन भूमि का ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्योतरा द्वारा दिनांक १३-०१-१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्योतरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र स्योतरा
वि० ख० सिन्धुगढ़ (अल्मोड़ा)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

मुष्नी देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत स्योतरा
वि० ख० सिन्धुगढ़ (अल्मोड़ा)



प्रपत्र-30.4

दिनांक 13-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- स्योतरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	<u>पूरन राम</u>	<u>पूरन राम</u>
2	<u>भाऊन राम</u>	<u>भाऊन राम</u>
3	<u>मन्कीर राम</u>	<u>मन्कीर राम</u>
4	<u>दुनी राम</u>	<u>दुनी राम</u>
5	<u>गोहीराम</u>	<u>गोहीराम</u>
6	<u>उम्वाराम</u>	<u>उम्वाराम</u>
7	<u>दुगाराम</u>	<u>दुगाराम</u>
8	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
9	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
10	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
11	<u>मन्कीर सिंह</u>	<u>मन्कीर सिंह</u>
12	<u>मन्कीर सिंह</u>	<u>मन्कीर सिंह</u>
13	<u>मन्कीर सिंह</u>	<u>मन्कीर सिंह</u>
14	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
15	<u>गोपाल राम</u>	<u>गोपाल राम</u>
16	<u>शान्ती देवी</u>	<u>शान्ती देवी</u>
17	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
18	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
19	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>
20	<u>मोहन सिंह</u>	<u>मोहन सिंह</u>

- ३०/-

ग्राम प्रधान मुन्नी देवी
प्रधान
 ग्राम पंचायत स्योतरा
 विनियोग अधिकारी (ग्राम सभा)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाला से बिटौली रोड
ग्राम का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गैरियाँ

तहसील भिकियासैन, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत नाला से बिटौली रोड ग्राम परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.457 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि हे0) अर्थात् कुल 5.457 हे0 वन भूमि का ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गैरियाँ द्वारा दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गैरियाँ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-गैरियाँ
वि0 ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनगा
वि0 ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-30.4

दिनांक 13-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- गिथो

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
2	प्रहलाद सिंह	प्रहलाद सिंह
3	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
4	उमेश सिंह	उमेश सिंह
5	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
6	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
7	हरीश सिंह	हरीश सिंह
8	अमृत सिंह	अमृत सिंह
9	राज सिंह	अमृत सिंह
10	मिर्नो सिंह	राज सिंह
11	मिर्नो सिंह	राज सिंह
12	मिर्नो सिंह	मिर्नो सिंह
13	हरीश सिंह	हरीश सिंह
14	नरेश सिंह	नरेश सिंह
15	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
16	रौद्र सिंह	रौद्र सिंह
17	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
18	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
19	अमृत सिंह	अमृत सिंह
20	मोहन सिंह	मोहन सिंह

- 80/-

ग्राम पंचायत सन 2015

ग्राम प्रधान - गिरिजा देवी (अम्बोडा)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

पधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गौला से चिरौली
मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिरौली

तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गौला से चिरौली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 5.42 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल 5.42 हे० वन भूमि का ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिरौली द्वारा दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिरौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

क्षेत्र: चिरौली
वि० ख०: भिकियासैन (अल्मोड़ा)

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

ग्राम

ग्राम पंचायत सनगा

वि० ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रधान-मुष्ण देवी

ग्राम पंचायत चिरौली

वि० ख० भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-30.4

दिनांक 13-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- पिरावा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुनपुर्ण सिंह	पुनपुर्ण सिंह
2	बनारस सिंह	बनारस सिंह
3	नन्दी सिंह बाबू	नन्दी सिंह
4	हरी सिंह	हरी सिंह
5	मान सिंह	मान सिंह
6	बनारस सिंह	बनारस सिंह
7	नयाना सिंह	नयाना सिंह
8	हरी सिंह	हरी सिंह
9	माधो सिंह	माधो सिंह
10	पुनपुर्ण सिंह	पुनपुर्ण सिंह
11	जगत सिंह	जगत सिंह
12	रवि सिंह	रवि सिंह
13	विश्वनाथ सिंह	विश्वनाथ सिंह
14	रमेश सिंह	रमेश सिंह
15	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
16	विश्वनाथ सिंह	विश्वनाथ सिंह
17	पुनपुर्ण सिंह	पुनपुर्ण सिंह
18	इन्दु सिंह	इन्दु सिंह
19	पुनपुर्ण	पुनपुर्ण
20	मोहन सिंह	मोहन सिंह

- 10/-
 प्रायादेवी
 ग्राम पंचायत सनगा
 ग्राम प्रधान 0240 भकियारन (अलावा)

ग्राम पंचायत
 पुनपुर्ण सिंह